90

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

श्री .... को द्वारा आज दि. 7.2.17 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

A 583 - I 17.

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. .... / .... / ....

विषय :– आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार – श्री जगदीश गौंड पिता श्री भद्दू गौंड
जाति (गौड़ आदिवासी) निवासी–म.नं 26, ग्राम खुरसी,
पोस्ट सगडा झपनी, तह. व जिला जबलपुर।

विरूद्ध

अनावेदक – 1. श्री अजय पटैल पिता श्री राम नाथ पटैल (गैर आदिवासी)
निवासी खम्हरिया फनवानी तह. सिहोरा जिला जबलपुर
2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा35(4)म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **58/अ–21/2015–16** में पारित **आदेश** दि. 19/09/2016 (Annexure.1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा35(4)के तहत्** यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री जगदीश गौंड पिता श्री भद्दू गौंड जाति (गौड़ आदिवासी) निवासी–म.नं 26, ग्राम खुरसी, पोस्ट सगडा झपनी, तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **खम्हरिया** प.ह.नं. 56 रा.नि.मं. मझगंवा तहसील सिहोरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 217/3 रकवा 0.06 हेक्टेयर भूमि

NOTARY

जगदीश विरूद्ध अजय आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 583-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-9-16 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 19-9-16 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम खम्हरिया प.ह.नं. 56, रा.नि.मं. मझगवां तहसील सिहोरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 217/3 रकबा 0.060 हैक्टर (0.14 एकड़) भूमि को गैर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदिम जनजाति सदस्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 5.42 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19-9-16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी जगदीश गौंड़ को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की स्वामित्व की ग्राम खम्हरिया प.ह.नं. 56, रा.नि.मं. मझगवां तहसील सिहोरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 217/3 रकबा 0.060 हैक्टर (0.14 एकड़) भूमि गैर आदिम जनजाति सदस्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 अजय पटेल पिता रामनाथ पटेल को विक्रय करने की	

जगदीश विरूद्ध अजय आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 583–एक/17 | जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	